5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

(6) निग. 9010-PBR/17

प्र. क्र.   /16 पी.बी.आर. निगरानी

गोपाल पुत्र नारायण प्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी हरिपुर तहसील गुना —**निगरानीकर्ता**

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. आलोक पुत्र नंदकिशोर उपाध्याय निवासी गुना तहसील व जिला गुना —**प्रतिप्रार्थी**

दिनांक 4-1-17 को श्री आर. एम. गौड़ अभि० द्वारा प्रस्तुत।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

4-1-17 SO

श्रीमान महोदय,

प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1. यह कि, उपरोक्त प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई हेतु तारीक पेशी दिनांक 03/01/2017 नियत थी परन्तु भूल वस प्रार्थी अभिभाषक उपरोक्त प्रकरण को अपनी देनिक डायरी में नोट नहीं कर पाया इसलिये दिनांक 03/01/2017 को पुकार के समय प्रार्थी अभिभाषक न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका इस कारण उपरोक्त कारण प्रार्थी की उनुपस्थित में निरस्त कर दिया गया है।
2. यह कि, दिनांक 03/01/2017 को प्रार्थी के नियुक्त अभिभाषक श्री बी.एम. जोशी द्वारा प्रार्थी को मुबाईल पर दिनांक 03/01/2017 के लगभग 04 बजे यह बताया कि आपका एक प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक बहस हेतु नियत है आप जाकर देख लें तब प्रार्थी अभिभाषक लगभग 4 बजे न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित हुये थे तो प्रकरणों की सुनवाई समाप्त होने के कारण संबंधित प्रवाचक से संपर्क करने पर यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त प्रकरण प्रार्थी की उनुपस्थिति में निरस्त किया जा चुका है।
3. यह कि, प्रार्थी प्रकरण का गुण दोषों क आधार पर निराकरण कराना चाहता है इसलिये यह आवेदन पत्र प्रकरण को पुनः नं. पर लिये जाने हेतु समय सीमा में प्रस्तुत किया जा रहा है।
4. यह कि, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सदभावना पर आधारित होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त प्रकरणपुनः नं. पर लिये जाने कृपा की जावे।

प्रार्थी

दिनांक 04/01/17

गोपाल पुत्र नारायण प्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी हरिपुर तहसील गुना

द्वारा अभिभाषक
(आर. एम. गौड़)
एड.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.2017	आवेदक की ओर से श्री आर०एस०गौड़ अभिभाषक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति का कारण समाधान-कारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।	[illegible] 7-2-17 [illegible]
[illegible]	[illegible] अध्यक्ष	